

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2007

department Notification No. 4054-4948-2005-XIII, dated 30th June, 2006 :—

क्र. एफ.-1-05-2007-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 152 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4502-तेरह-2004, दिनांक 30 जुलाई, 2004 को, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 6 अगस्त, 2004 में प्रकाशित की गई थी, अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल या इसकी वितरण कम्पनियों या वितरण कम्पनियों द्वारा नियुक्त किये गये फ्रेंचाईजी के निम्नलिखित अधिकारियों को, किसी ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति से, जिसने उक्त अधिनियम के अधीन दण्डनीय विद्युत् की चोरी का अपराध किया है या जिस पर ऐसा अपराध किये जाने का युक्तियुक्त रूप से संदेह हो, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4054-4948-2005-तेरह, दिनांक 30 जून, 2006 में यथाविनिर्दिष्ट अपराध का प्रशमन करने के तौर पर धनराशि स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत करती है :—

- (1) 15 हार्स पावर तक के समस्त निम्नदाब (लो टेन्शन) संस्थापनों के लिये कार्यपालन यंत्री या फ्रेंचाईजी के संबंध में समतुल्य रैंक का कोई अधिकारी;
- (2) 15 हार्स पावर से अधिक की समस्त निम्नदाब (लो टेन्शन) संस्थापनों के लिये अधीक्षण यंत्री या फ्रेंचाईजी के संबंध में समतुल्य रैंक का कोई अधिकारी; और
- (3) समस्त उच्च दाब (हाई टेन्शन) संस्थापनों के लिये मुख्य अभियंता या फ्रेंचाईजी के संबंध में समतुल्य रैंक का कोई अधिकारी.

No. F-1-05-2007-XIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 152 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and in supersession of this Department's Notification No. 4502-XIII-2004, dated 30th July 2004, which was published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 6th August, 2004, the State Government, hereby authorizes the following officers of the Madhya Pradesh State Electricity Board or its distribution Companies or franchisees appointed by distribution Companies, to accept from any consumer or person who committed or who is reasonably suspected of having committed an offence of theft of electricity punishable under the said Act, a sum of money by way of Compounding of the offence as specified in this

- (1) Executive Engineer or any officer of equivalent rank in respect of franchisees for all Low Tension installation upto 15 Horse Power;
- (2) Superintending Engineer or any officer of equivalent rank in respect of franchisees for all Low Tension installation of more than 15 Horse Power; and
- (3) Chief Engineer or any officer of equivalent rank in respect of franchisees for all High Tension installations.

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

क्र. एफ.-1-3-2007-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 164 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुज्ञप्तिधारी कम्पनियों के क्षेत्राधिकार में विद्युत् के पारेषण या वितरण के लिये विद्युत् लाइनों या विद्युत् संयंत्र को स्थापित करने के लिये या विद्युत् के पारेषण या वितरण के संकर्मों के समुचित समन्वयन के लिये आवश्यक टेलीफोन या टेलीग्राफ संबंधी (टेलीग्राफिक) संचारण के प्रयोजन के लिये मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, मध्यप्रदेश पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड या उनके प्रतिनिधि को ऐसी शक्तियां प्रदान करती है जैसे कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के उपबंधों के अधीन, तार प्राधिकारी को प्राप्त हैं.

No. F-1-3-2007-XIII.—In exercise of the powers conferred under Section 164 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, hereby confers upon the powers to Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited, Madhya Pradesh Poorv/Madhya/Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Limited for the jurisdiction of the Licensee companies or their authorized representative for placing of electric lines or electrical plant for the transmission or distribution of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic Communication necessary for the proper co-ordination of works of transmission or distribution of electricity as Telegraphic Authority possess under the provisions of the Indian Telegraphic Act, 1885 (13 of 1885).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय बंदोपाध्याय, सचिव.